मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति का कार्यालय, जमशेदपुर।

(झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 426 एवं मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति के भवन उपनियम 2007 की कंडिका 7.1 के तहत् भवन प्लान की स्वीकृति)

परमिट संख्याः– 77 / 16 दिनांकः 09/06/2016

सेवा में,

1.) श्री अजय कुमार पिता– स्व० निमाई गौड़
2.) अरूण कुमार पिता– स्व० भूवन गौड़
3.) श्री रविन्द्र प्रधान पिता– स्व० पितबस प्रधान एवं अन्य
पोस्ट ऑफिस रोड, मानगो, जमशेदपुर।

महाशय,

प्लॉट संख्याः–3953, 3954, 3956, 3957, 3958, 3959, 3968 खाता संख्याः– 319, मौजाः– मानगो, वार्ड सं०–10 पर भवन निर्माण हेतु आपके द्वारा दिये गये आवेदन के आलोक में आवासीय भवन Ground Floor + 1st Floor, Height:- 6.55M, कुल इकाई–23 अदद् आवासीय (डूप्लेक्स) के भवन प्लान की स्वीकृति निम्न शर्तों पर दी जाती हैः–

1. आवेदक द्वारा दी गयी जानकारी एवं दस्तावेज में अंश भाग भी गलत पाये जाने पर भवन प्लान की स्वीकृति रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
2. स्वीकृत भवन प्लान से किसी प्रकार का विचलन भवन निर्माण या इसकी उपयोगिता में मान्य नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में भवन की ऊँचाई/मंजिल की संख्या में वृद्धि नहीं होगी, जब तक इसकी विधिवत् स्वीकृति नहीं ली जायेगी।
3. निर्माण के गुणवत्ता झारखण्ड भवन निर्माण विभाग/भारतीय मानक/भारतीय भवन संहिता की विशिष्ठियों के अनुरुप होगी। निर्माण कार्य एवं संरचना के सही रुपांकण एवं इसकी सुरक्षा का दायित्व संबंधित अनुज्ञाप्तिधारी अभियंता के साथ–साथ निर्माणकर्त्ता पर होगी।
4. भूखण्ड के सामने चहारदिवारी का निर्माण, लाईटिंग पोल की व्यवस्था पेवमेन्ट का निर्माण तथा पेड़ लगाने का कार्य अनिवार्य रुप से भवन उपनियम के अनुसार करना होगा।
5. निर्माण कार्य के आरम्भ होने की सूचना मानगो अ॰क्षे॰स॰ कार्यालय को देनी होगी तथा प्लींथ/भूमि तल पर कार्य आने के पश्चात् इसकी जाँच (दस दिनों के अन्दर) करने के बाद ही आगे निर्माण कार्य जारी रखा जाएगा।
6. निर्माणकर्त्ता को अपार्टमेन्ट में समुचित जल आपूर्ति की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
7. निर्माणकर्त्ता को निजी ट्रान्सफार्मर की व्यवस्था करनी होगी। भवन में विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था के रुप में ध्वनि एवं प्रदूषण रहित पर्याप्त क्षमता का जेनरेटर लगाना होगा।
8. प्रत्येक तल पर समुचित क्षमता का अग्निशामक यंत्र लगाना होगा।
9. Rain Water Harvesting के साथ Ground Water Recharging का प्रावधान सुनिश्चित करना होगा।
10. भवन निर्माण मे 50 प्रतिशत फ्लाई एश ब्रिक्स का प्रयोग करना होगा।
11. भवन निर्माण पूर्ण होने पर Completion Certificate के साथ मानगो अ॰क्षे॰स॰ को सूचित करना होगा तथा Occupancy Certificate प्राप्त किए बिना भवन मे Occupancy नहीं दी जा सकेगी।
12. मानगो बिल्डिंग बाई लॉज 2007 एवं झारखण्ड अपार्टमेन्ट अधिनियम 2005 में वर्णित अन्य सभी प्रावधानों का पालन करना होगा।
13. भवन निर्माण के दौरान मानगो अ॰क्षे॰स॰ द्वारा यदि कोई निर्देश दिया जाता है तो उस निर्देश का पालन सुनिश्चित करना होगा।
14. माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई विवादित भूमि/सरकारी भूमि/आदिवासी खाता की भूमि पर किसी भी हालत में भवन निर्माण नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो भवन प्लान रद्द माना जायेगा।
15. निर्माण स्थल पर एक बोर्ड लगाना होगा जिस पर भूमि मालिक का नाम, निर्माणकर्त्ता का नाम, प्लॉट एवं खाता संख्या, रकबा, स्वीकृत भवन प्लान की परमिट संख्या, कुल स्वीकृत तल, एवं कुल स्वीकृत फ्लैट्स आदि का विवरण देना होगा। साथ ही क्रेता को स्वीकृत भवन प्लान की अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध करानी होगी।
16. भवन में समुचित क्षमता का तड़ित चालक लगाना अनिवार्य है।
17. भवन प्लान की स्वीकृत प्रति प्राप्त करने के पूर्व आवेदक, निर्माणकर्त्ता तथा अनुज्ञाप्तिधारी अभियंता को उपरोक्त शर्तों के आशय का एक शपथ पत्र देना होगा।
18. विभागीय निदेश के आलोक में वाणिज्य कर विभाग से TIN No. प्राप्त करना आवश्यक है। अतः तीन माह के अंदर TIN No. इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा अन्यथा परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।
19. यह परमिट निर्माण हेतु निर्गत तिथि से मात्र तीन वर्षों के लिए ही विधिमान्य होगी।

06.04.16
सहायक अभियंता,
मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति,
जमशेदपुर।

3.06.16
विशेष पदाधिकारी
मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति,
जमशेदपुर।

विशेष पदाधिकारी
मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति